

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान सीता बनाम रामपाल वर्मा
 केसम मुकदमा नं. 6 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
31/01/18	<p>पकील प्राथिमि श्री रामावतार बिजाविया ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना-पत्र आम्बार्ड निषेधाज्ञा देवा दिया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाये। रन्धराज पर बहान वकील प्राथिमि एडवोकेट श्रुती गई। पत्रावली, पत्रावली पर डायरी टाकाव रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहान वकील प्राथिमि पर समूह मनन किया गया जितने प्रथम हुण्टमा मामला प्राथिमि के पक्ष के माया जने पर अप्रार्थिमि को अन्तरिम आम्बार्ड निषेधाज्ञा के पाबन्द किया न्यायसंगत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थिमि को आज्ञाय तरीफ पेशी तक जरिफ आम्बार्ड निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाय है कि आप विवादग्रान्त आरपी नं० 93, 94, 95, 113, 114, 115, 116 रड्डा 7.69 हे० नन ग्राम रोयल के राठम रिपोर्ट के मध्याह्निकि (as on today) बनाये रहे। प्राथी 0.39, R. 03 ए पी सी की पालना करें। अप्रार्थिमि को उक्त आम्बार्ड अवलोकन करते हुए सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.02.2018 को पेश हो।</p>	<p>892-892 74-2-18</p>
27/02/18	<p>पत्रावली पर हुं। वकुलाय फरिफन न/अनुमिता। पीठलीय अधिकारी से /उक्त कार्य में मय पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हे। दिनांक 27.02.18</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर
अहम
हुक्म
में

10⁰⁷/₁₈

प्रार्थना
1.

वकील प्रार्थना द्वारा माहिर प्रार्थना पर
 मिमल तलबी (शामिल मूल वादपर) लीटर
 किया जाने पर परावली पूर्व निपट नालिफ पेडा
 से तलबी की जाठ आठ पेडा की प्रकृति प्राणपर
 टी० आर० से संबंधित मूल वादपर आठ विद्वा
 किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पर
 टी० आर० में आठ कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
 अतः कार्यवाही प्रकरण वकील पर पर Drop
 की जाती है। परावली केमल कुमार लीडर-अडल
 से कम दो तथा बाद नकलील वाकिल वफर 2
 है। निर्णय मते इसका प्रमाण 21/10/18